

चोराखेडी से नया गांव बनाया जा रहा है
गणतंत्र मोटिफिकेशन
राजस्व विभाग

07
(Form 'O')
A

विज्ञप्ति

संख्या एम् 16 (4066) 270 का. 4. 2

दिनांक 27-12-78

भू-कि उनके पास संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में पाया जा रहा है।
राष्ट्रिय अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्व वन अधिनियम (1953)
वा राजस्व वन अधिनियम संख्या 13 की धारा (20) की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या
दिनांक के अनुसरण में किया जा चुका है।

धन: अब उपयुक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य
सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसूचि पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर
बाध होने जो कि एतदनुसार रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

शासन सचिव

तकसब - जुम्हा कोटडा 11 एम् रेजिस्ट्रार शाहबाद अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मोता	क्षेत्रफल वनखण्ड या मोता एकड़ों में	विशेष विवरण
फाँटा	शाहबाद	(1) ग्राम टोलेपुरा		1793-42	
		(2) ग. नमोरागा		322-52	
		(3) ग. नमोरागा		246-08	
		(4) ग. टोलेपुरा		1466-56	
		केपिराग		2589-50	

(वीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारी

जिला अधिकारी
D. F. O. Baram
15/12/80
TRUE COPY
15-12-78

विशेषः ५४—५५—५६

712

हम क्षमता प्रयोग करके व प्रत्येक छात्रद्वारा

何

204

7

T

३